भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2861

उत्तर देने की तारीख: 08.08.2024

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का विस्तार

2861. श्री नलिन सोरेनः
श्री अजय भट्टः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विस्तार और रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो झारखंड और उत्तराखंड के लिए बनाई गई कार्रवाई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रयोजन की रूपरेखा और प्रकृति क्या है और सरकार द्वारा कितनी निधि आवंटित की गई है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) एमएसएमई मंत्रालय, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से गैर-कृषि क्षेत्र में नए उद्यमों की स्थापना करने में उद्यमियों की सहायता हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। इसका उद्देश्य परंपरागत कारीगरों/ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवाओं को उनकी दहलीज पर ही रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

पीएमईजीपी एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम होने के नाते सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी (एमएम) की अनुदान सहायता प्रदान करती है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, ट्रांसजेंडरों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, **पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों** और आकांक्षी जिलों के लाभार्थियों से संबंधित विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिन मनी सब्सिडी 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है।

इसके अतिरिक्त, महिलाओं सहित विशेष श्रेणी के लाभार्थियों का स्वयं का अंशदान 05% है तथा सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 10% है।

वर्ष 2018-19 से, मौजूदा पीएमईजीपी/ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम/मुद्रा उद्यमों को भी विगत अच्छे कार्य-निष्पादन के आधार पर उन्नयन और विस्तार के लिए द्वित्तीय ऋण की सहायता प्रदान की जा रही है। द्वित्तीय ऋण के अंतर्गत, विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत मार्जिन मनी (एमएम) अनुदान सहायता के लिए अधिकतम स्वीकार्य परियोजना लागत 1.00 करोड़ रु. और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 25 लाख रु. है। सभी श्रेणियों के लिए द्वित्तीय ऋण पर पात्र अनुदान सहायता परियोजना लागत का 15% **(पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के लिए 20%)** है।

विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत सृजित रोजगार के अवसरों तथा पीएमईजीपी के अंतर्गत आबंटित एवं उपयोग की गई निधि का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों सहित समग्र देश में एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहित करने और एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उठाए गए कदम:

1. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):**
   i. विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम स्वीकार्य परियोजना लागत को 25 लाख रु. से बढ़ाकर 50 लाख रु. तथा सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रु. से बढ़ाकर 20 लाख रु. कर दिया गया है।
   ii. पशुपालन के संबंध में डेयरी, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन, रेशम उत्पादन को भी शामिल करने के लिए छूट प्रदान की गई है।
   iii. द्वितीय ऋण के लिए आवेदन करने वाली मौजूदा पीएमईजीपी/ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम/मुद्रा इकाइयों की लाभप्रदता पर विचार करते हुए कोविड वर्ष अर्थात, वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 में छूट दी गई है।
   iv. 2 लाख रु. तक की परियोजना लागत के लिए कोई अनिवार्य ईडीपी नहीं है और 5 लाख रु. तक की परियोजनाओं के लिए प्रशिक्षण की अल्प अवधि (5 दिन तक) है।
   v. भावी उद्यमियों के बीच स्कीम के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए सभी स्तरों पर जागरूकता शिविरों, कार्यशालाओं और प्रदर्शनिओं का आयोजन किया जा रहा है।
   vi. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पीएमईजीपी स्कीम का प्रचार-प्रसार।
2. 200 करोड़ रु. तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।
3. एमएसई के लिए ऋण गारंटी स्कीम: सीजीएसएमएसई के अंतर्गत, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए 85% तक के गारंटी कवरेज के साथ एमएसई को 500 लाख रु. की सीमा तक (01.04.2023 से) संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किए जाते हैं।
4. अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए उद्यम सहायता मंच नामक पोर्टल का शुभारंभ, जिससे पंजीकृत आईएमई को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का लाभ लेने में सहायता मिली है।
5. ऋण उद्देश्य से दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारियों को एमएसएमई के रूप में समावेश।
6. एमएसएमई की स्थिति में उन्नयन की स्थिति में गैर-कर लाभ को 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जाना।
7. 18 व्यवसायों में संलग्न परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों को ऋण सहायता, कौशल प्रशिक्षण, विपणन सहायता आदि जैसे कई लाभ प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को “पीएम विश्वकर्मा” स्कीम का शुभारंभ। इस स्कीम में लाभार्थियों को उद्यम सहायता मंच पर औपचारिक एमएसएमई परिवेश में “उद्यमी” के रूप में शामिल किया जाएगा।
8. वस्तु और सेवाओं के खरीदारों से एमएसई को बकाया राशि की निगरानी और शिकायत दर्ज करने के लिए समाधान पोर्टल का शुभारंभ।
9. शिकायतों के निवारण और एमएसएमई को पथ-प्रदर्शन प्रदान करने सहित ई-गवर्नेंस के कई पहलुओं को शामिल करने के लिए जून, 2020 में एक ऑनलाइन पोर्टल "चैंपियंस" का शुभारंभ।

***

अनुबंध

दिनांक 08.08.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2861 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमईजीपी के कार्य-निष्पादन के संदर्भ में, सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या, संवितरित मार्जिन मनी अनुदान सहायता और अनुमानित सृजित रोजगार निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	अखिल भारत			अखिल भारत ग्रामीण		
	सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या	मार्जिन मनी सहायता अनुदान (करोड़ रु. में)	अनुमानित सृजित रोजगार	सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या	मार्जिन मनी सहायता अनुदान (करोड़ रु. में)	अनुमानित सृजित रोजगार
2021-22	1,03,219	2,977.66	8,25,752	84,696	2,585.86	677,568
2022-23	85,167	2,722.17	6,81,336	68,470	2,323.48	547,760
2023-24	89,118	3,093.88	7,12,944	68,939	2,546.19	551,512

विगत तीन वर्षों के दौरान झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमईजीपी के कार्य-निष्पादन के संदर्भ में, सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या, संवितरित मार्जिन मनी (एमएम) अनुदान सहायता और अनुमानित सृजित रोजगार निम्नानुसार है:

वर्ष	झारखंड			ग्रामीण झारखंड		
	सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या	मार्जिन मनी सहायता अनुदान (करोड़ रु. में)	अनुमानित सृजित रोजगार	सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या	मार्जिन मनी सहायता अनुदान (करोड़ रु. में)	अनुमानित सृजित रोजगार
वित्तीय वर्ष 21-22	1,714	41.87	**13,712**	1,203	32.23	**9,624**
वित्तीय वित्तीय वर्ष 22-23	1,851	48.37	**14,808**	1,370	38.62	**10,960**
वित्तीय वर्ष 23-24	2,101	51.23	**16,808**	1,425	39.38	**11,400**

विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमईजीपी के कार्य-निष्पादन के संदर्भ में, सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या, संवितरित मार्जिन मनी (एमएम) अनुदान सहायता और अनुमानित सृजित रोजगार सृजन निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्तराखंड			ग्रामीण उत्तराखंड		
	सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या	मार्जिन मनी सहायता अनुदान (करोड़ रु. में)	अनुमानित सृजित रोजगार	सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या	मार्जिन मनी सहायता अनुदान (करोड़ रु. में)	अनुमानित सृजित रोजगार
वित्तीय वर्ष 21-22	1,836	39.82	**14,688**	1,514	34.40	**12,112**
वित्तीय वर्ष 22-23	1,803	46.31	**14,424**	1,387	37.60	**11,096**
वित्तीय वर्ष 23-24	1,354	41.91	**10,832**	991	33.20	**7,928**

विगत 3 वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत राज्यवार मार्जिन मनी (एमएम) अनुदान सहायता लक्ष्य और उपलब्धि निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2021-22		2022-23		2023-24	
		लक्ष्य –उपयोग की जाने वाली मार्जिन मनी (लाख में)	उपलब्धि - उपयोग की गई मार्जिन मनी (लाख में)	लक्ष्य –उपयोग की जाने वाली मार्जिन मनी (लाख में)	उपलब्धि - उपयोग की गई मार्जिन मनी (लाख में)	लक्ष्य –उपयोग की जाने वाली मार्जिन मनी (लाख में)	उपलब्धि - उपयोग की गई मार्जिन मनी (लाख में)
1	अंडमान निकोबार	324.49	238.69	281.65	202.92	231.00	134.35
2	आंध्र प्रदेश	9,099.19	10,088.80	8,105.97	12,929.93	10,102.96	17199.84
3	अरुणाचल प्रदेश	671.48	788.88	572.37	701.26	656.80	1764.81
4	असम	14,794.18	6,659.71	9,585.49	5,954.20	11,162.22	6406.26
5	बिहार	10,426.73	8,169.92	9,203.09	12,123.20	11,085.31	19175.74
6	चंडीगढ़-केंद्र शासित प्रदेश	98.89	62.08	102.35	44.53	72.00	22.19
7	छत्तीसगढ़	9,311.88	6,941.44	8,217.28	7,492.77	7,585.24	7625.32
8	दिल्ली	324.49	315.23	281.65	471.11	345.01	334.32
9	गोवा	324.49	298.22	284.64	291.08	275.41	322.7
10	गुजरात*	26,174.71	28,704.84	22,481.52	24,182.62	23,362.62	32124.58
11	हरियाणा	7,417.41	6,093.33	6,684.98	6,319.98	6,283.11	7325.23
12	हिमाचल प्रदेश	4,520.00	3,550.95	4,236.01	3,149.58	3,340.04	3647.92
13	जम्मू कश्मीर	10,569.73	46,713.54	9,464.18	23,993.89	11,598.63	28249.88
15	झारखंड	**6,268.01**	**4,188.27**	**5,648.03**	**4,837.65**	**5,110.88**	**5123.28**
15	कर्नाटक	14,152.31	15,843.36	12,377.84	16,154.42	15,717.09	15862.49
16	केरल	6,860.54	6,859.29	6,244.20	7,329.23	7,226.71	7881.81
17	लद्दाख-केंद्र शासित प्रदेश	1,081.87	1,182.31	1,337.28	376.09	754.46	584.66
18	लक्षद्वीप	51.19	17.50	54.53	2.49	41.00	0
19	मध्य प्रदेश	21,582.71	20,961.46	18,569.14	18,129.70	18,429.00	18521.49
20	महाराष्ट्र**	13,806.63	13,018.54	12,114.86	13,203.32	11,711.97	12204.7
21	मणिपुर	6,885.24	3,337.25	4,529.21	1,462.51	4,589.19	810.73
22	मेघालय	3,903.67	974.17	2,530.68	665.74	2,093.00	725.03
23	मिजोरम	2,965.57	1,461.76	1,933.14	1,353.86	2,213.53	1755.33
24	नागालैंड	4,425.65	2,494.89	2,906.60	1,535.13	3,036.59	2917.65
25	ओडिशा	10,239.53	11,335.95	9,113.79	10,731.75	9,067.16	9354.84
26	पुदुचेरी	177.90	144.30	192.01	65.56	127.00	97.44
27	पंजाब	7,294.71	6,017.86	6,562.46	7,250.62	6,194.55	9087.81
28	राजस्थान	10,874.64	9,025.60	9,659.16	11,418.57	11,481.26	12406.43
29	सिक्किम	239.02	214.27	164.96	131.46	240.00	449.19
30	तमिलनाडु	16,785.63	16,445.76	15,145.08	17,891.66	17,625.08	19871.81
31	तेलंगाना	8,845.96	9,846.14	7,866.14	10,225.11	9,851.76	10811.78
32	त्रिपुरा	3,477.42	2,083.70	2,277.56	1,689.01	2,668.73	1444.21
33	उत्तर प्रदेश	34,657.47	41,165.07	30,038.33	37,865.82	38,222.29	43528.99
34	उत्तराखंड	**5,348.30**	**3,983.20**	**4,936.80**	**4,631.73**	**4,291.67**	**4191.69**
35	पश्चिम बंगाल	11,018.36	8,539.63	9,698.02	7,408.96	8,207.74	7423.17
	कुल योग	**285,000.0**	**297,765.91**	**243,401.0**	**272,217.46**	**265,001.01**	**309,387.67**

* *दमन और दीव सहित ** दादर नगर और हवेली सहित*